भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3441
जिसका उत्तर सोमवार 15 जुलाई, 2019
24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

संकटग्रस्त इस्पात कंपनियों की नीलामी

3441. श्री ए. राजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आईबीसी के अंतर्गत संकटग्रस्त कंपनियों की कार्ट्लाइज्ड नीलामी खरीद होनी है;
(ख) यदि हां, तो नीलामी हेतु चुनी गई कंपनियों का ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान प्रोमोटर्स और खरीदारों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कम से कम बोली हेतु मूल्य निर्धारण के लिए भावी खरीदारों और प्रोमोटर्स द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी इस्पात कंपनियों के अधिकतम मूल्य प्राप्ति के लिए बैंकों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख) : जी, नहीं। दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 में किसी नीलामी के माध्यम से कारपोरेट ऋणी कंपनी की बिक्री हेतु इसकी एक पद्धति के रूप में परिकल्पना नहीं की गई है।

इस कोड की आत्मा, जैसा कि इसके लम्बे शीर्षक से प्रतीत होता है, समाधान है। बिनानी इंडस्ट्रीज लि. बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य के मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने यह निर्धारित किया है कि इस कोड का प्रथम क्रमिक उद्देश्य "समाधान" है। इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्विस रिबन के मामले में दोहराया गया है जिसमें उसने कहा है कि :

> "इस विधान का प्रमुख केन्द्र बिन्दु किसी कारपोरेट ऋणी कंपनी को उसके स्वयं के प्रबंधन और समापन द्वारा निगमित कंपनी के अस्तित्व को नष्ट होने से बचाते हुए ऋणी कंपनी का पुनरउद्धार और उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करना है"।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। संकटग्रस्त इस्पात कंपनियों सहित कारपोरेट ऋणी कंपनी का समाधान कारपोरेट कंपनी के दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बारे में दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के अध्याय II में सन्निहित उपबंधों और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) द्वारा नियंत्रित होता है जिसमें कारपोरेट ऋणी कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकाधिक बनाने हेतु व्यापक प्रावधान सन्निहित है। इनमें उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए वैश्विक तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार परिसंपत्तियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना, समाधान योजना हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना, जो परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकाधिक बनाने में सहायता करेगी, समाधान योजना का विशेष बहुमत के साथ सभी वित्तीय देनदारों से युक्त समिति द्वारा और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन शामिल है। वित्तीय देनदारों की समिति में शामिल वित्तीय देनदारों के प्रतिनिधि इन उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

*****